बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पत्रांक – 14/डी0एल0ए0, भागलपुर (थाना भवन)– 8/13
संख्या –3031/270   दिनांक –30–12–13

आर० चूँकि बिहार के राज्यापाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परतापनगर चादर नं० 2, थाना नं० 124, राजस्व थाना बिहपुर, अंचल नवगछिया, जिला भागलपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ढोलबज्जा थाना भवन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम परतापनगर चादर नं० 2 थाना नं० 124 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 0.15 एकड़ जो कुल 0.15 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खसरा संख्या निम्न प्रकार है :–

अंश खेसरा संख्या 2437 तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है –

उत्तर – अंश खेसरा नं० 2442
पुरब – अंश खेसरा नं० 2438 एवं पूर्ण खेसरा नं० 2440
दक्षिण – अंश खेसरा नं० 2437
पश्चिम – अंश खेसरा नं० 2437

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित 1984 एवं बिहार संशोधित अधिनियम 11 जून 1961 की धारा (4) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भागलपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार के राज्यपाल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे पुलिस अधीक्षक, नवगछिया, जिला भागलपुर के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा संख्या (2) यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते है, और बिहार राज्यपाल की राय में उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा उसका अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखतें हुए अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता,
भागलपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं0 – 14/डी0एल0ए0, भागलपुर (~~बिजय घाट कोसी पुल~~ धाना मंडल)– 3031/रा0, दि0-30-12-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, भागलपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।